

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 20 सितम्बर, 2019

- संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13110/श्री राधेश्याम साह, भा0प्र0से0(2005), विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13111/श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2006), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री दयानिधान पाण्डेय अगले आदेश तक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13112/श्री अरशद अजीज, भा0प्र0से0 (2006), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें गोपालगंज जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अरशद अजीज अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13113/श्री उदय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2007), अपर सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, पर्यटन/ईखायुक्त) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री उदय कुमार सिंह अगले आदेश तक ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13114/श्री अवनीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2010), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत उन्हें शिवहर जिला का दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री अवनीश कुमार सिंह अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।



संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13115/श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा0प्र0से0(2010), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार-बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अनिमेष कुमार पराशर अगले आदेश तक अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13116/श्री राज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समाज कल्याण के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री राज कुमार अगले आदेश तक निदेशक, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13117/श्री हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0 (2010), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13118/श्री सुनील कुमार यादव, भा0प्र0से0 (2012), संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13119/श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13120/श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0 (2010), अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13121/श्री अंशुल अग्रवाल, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भोजपुर, आरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।



संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13122/श्री रिची पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बेगूसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13123/श्री रवि प्रकाश, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बौंका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13124/सुश्री वर्षा सिंह, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13125/श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13126/श्री अंशुल कुमार, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13127/श्री वैभव चौधरी, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13128/श्री विजय प्रकाश मीणा, भा0प्र0से0 (2016), अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा, पश्चिम चम्पारण को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, वैशाली, हाजीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


20.9.19
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-13128/पटना-15, दिनांक: 20 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार

राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली / कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ महालेखाकार (ले0 एवं ह0),बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ श्री पी0 के0 त्रिपाठी, अपर सचिव-सह-स्थापना पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना पदाधिकारी का कार्यालय), भारत सरकार, नई दिल्ली-110 001/श्री छात्र मणि, अवर सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/ मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग(कम्प्यूटर सेल)/संबंधित विभाग/संबंधित सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 6, 12 एवं 19 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 (1) के तहत श्री अनिमेष कुमार पराशर, भा0प्र0से0(2010) के पदस्थापन से संबंधित पद (प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना) को उनके पदस्थापनकाल तक के लिए भा0प्र0से0 के अपर सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है।

20/9/19

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।